Publication	Date
Punjab Kesari (Print)	September 25, 2021

एसीएफआई करेगी केन्द्र से संशोधन की अपील

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : एग्रोकेमफेडरेशन ऑफ इंडिया (एसीएफआई) की चौथी वार्षिक आम बैठक के अवसर पर शुक्रवार को कृषि रसायन उद्योग के शीर्ष निकाय ने "पौधसंरक्षण रसायनः बुनियादी आवश्यकता' विषय पर एक विचार-मंथन तकनीकी चर्चा के आयोजन में 'फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर' में किसानों को पौध संरक्षण रसायनों (कीटनाशकों) के विवेकपूर्ण और न्यायसंगत उपयोग के बारे में शिक्षित करने के महत्वका उल्लेख किया और कृषि रसायन उद्योग को सामृहिक रूप से धारणा प्रबंधन पर काम करनेकी आवश्यकता पर बल दिया। कृषि आयुक्त और अध्यक्ष, पंजीकरण समिति, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, डा. एस के मल्होत्रा ने लोगों को सुरक्षित फल, सब्जी और खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए फसलों पर जैविक कीटनाशकों के प्रयोग पर जोर दिया है। डॉ. मलहोत्रा ने एसीएफआई चौथे वार्षिक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि किसानों को ग्रीन कीटनाशाकों का फसलों पर उपयोग करना चाहिए जो मानव स्वास्थ्य के लिए कम खतरनाक हैं। इसके साथ ही ये पशुओं और पर्यावरण के अनुकूल हैं। उन्होंने कहा कि देश से बड़े पैमाने पर फलों और सब्जियों का निर्यात किया जाता है जिसके कारण भी इनमें कीटनाशकों का प्रभाव अंतरराष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अतिरिक्त महानिदेशक एस सी दुबे ने कहा कि खर पतवार, व्याधियों तथा कीटों के कारण 10 से 30 प्रतिशत तक फसलों का नुकसान होता है। यह क्षति फसलों के तैयार होने और उसके बाद भी होती है। इस क्षति को यदि रोक दिया जाये तो किसानों की आय आसानी से दोगुनी की जा सकती है। महासंघ के अध्यक्ष एन के अग्रवाल ने केन्द्र सरकार से सरल पंजीकरण प्रक्रिया के लिए समर्थन देने और कीटनाशक प्रबंधनबिल में संशोधन लाने का भी आग्रह किया।